| | |
|---|---|
| 2.11.2020 | वकील फरीकेन उपस्थित। बहस वकील उभयपक्षकारान को सुना किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 22.3.2012 जापत रमेश चन्द की ओर से पेश की गई है। रमेश चन्द की ओर से दिनांक 22.3.12 को एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि रमेश चन्द का स्वर्गवास दिनांक 6.5.2011 को हो चुका है किन्तु वादी द्वारा मूल दावा में मृतक रमेश चन्द के विधिक प्रतिनिधियों |

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.05 18:13:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |

रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नही की है विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की म्याद भी निकल चुकी है। उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र मूल रिकवरी की दर० से सम्बन्धित है।

न्यायालय हाजा के अप्रार्थी नं. 1 व 2 द्वारा बिना इजराय पेश किये सीधे अप्रार्थी नं. 3 से मिलकर नियम विरूद्ध तरीके से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.2.99 की पालना करवा रहे है प्रार्थी को जानकारी मिलने पर यह प्रार्थना पत्र आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नं. 3 को भिजवाया किन्तु अप्रार्थी नं. 3 ने आदेशों की अवहेलना करते हुये पालना करने मे व्यक्तिगत रूचि लेकर आमादा हो रहा है. जबकि आदेश की पालना 0० 21 CPC के प्रावधानो के अनुसार न्यायालय द्वारा कराई जाती है। अप्रार्थीगण ने निर्णय दिनांक 12.2.99 की वास्तविकता को छुपाकर कपट से प्राप्त किया है। उक्त निर्णय की पालना भी नही करवाई जा सकती है। उक्त भूमि इस्टमुरार जागीर भूमि है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं. 1 व 2 से कभी भी विवादित भूमि को जाल दर साल लगान पर नही ली प्रार्थी विवादित आराजीयात पर खातेदार जरिये पंजीकृत विलेख से रिकार्ड पर आया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12.2.99 की पालना निरस्त की जाकर विधिवत तरीके से निस्पादन कार्यवाही मे प्रार्थी की आपत्तियो को सुनवाई करने के आदेश [illegible] जावे।

अप्रार्थीगण ने [illegible] प्रस्तुत कर प्रार्थी के [illegible] करते हुये कथन किया है कि यह प्रार्थना पत्र रमेश चन्द की ओर से पेश किया गया है जिनकी पैरवी उनके खास भाई अरविन्द शर्मा एड० कर रहे हैं उन्हे रमेश चन्द को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.05 18:13:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | हुक्म की ... में जारी |
|---|---|---|
| | फौत होने की जानकारी रही होगी लेकिन उन्होने इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थी रमेशचंद के कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र O22 R4 CPC पेश नहीं किया और गलत तरीके से गलत अनाधिकार तौर पर यह आवेदन पेश किया है जो स्वतः ही एबिट हो चुका है। उसके सैटिलमेन्ट सेटसाईड का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं हुआ और आवेदन मे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। | |
| | बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। | |
| | पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण मे प्रार्थी रमेश चन्द का स्वर्गवास दि० 6/3/11 को हो चुका है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पत्रावली मे प्रार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत की गयी है। परन्तु मृतक रमेश चन्द प्रार्थी के कायम मुकाम की कार्यवाही आज दिवस तक नहीं की गई है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी एबिट हो चुका है और चलने योग्य नहीं है। | |
| | अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रमेशचन्द धारा 184, 185 RTA एवं धारा 151 एवं ओर्डर 2 [illegible] CPC खारिज किया जाता है। [illegible] होकर नथी [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |
| | Signature Not Verified<br>Digitally signed by Devendra Singh Parmar<br>Date: 2021.01.05 18:13:00 IST<br>Reason: SelfAttested | |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>करौली (राज०) | |